संख्या-18/2015/69जेपीआर/22-3-15-800(135)/2013

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2015***

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी सुरेश सिंह पुत्र स्व0 जगपत सिंह, निवासी-218/जी/7सी, जे0पी0 नगर, सुलेम सराय, थाना-धूमनगंज, जिला-इलाहाबाद को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी सुरेश सिंह पुत्र स्व0 जगपत सिंह, निवासी-218/जी/7सी, जे0पी0 नगर, सुलेम सराय, थाना-धूमनगंज, जिला-इलाहाबाद को शासनादेश संख्या-69/2757जेएल/22-3-14-800(135)/2013, दिनांक 14-11-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-18/2015/69जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in